न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0खान
आई.ए.एस.

त संख्या 32 / 2021

न्द्र पुत्र स्व0 प्यारेलाल, जाति जाट, निवासी भूरासर का बास, तहसील व जिला झुंझुनूं।

—— अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक / सरकार पैरोकार, झुंझुनं।

—— रेस्पोडेन्ट

——

अपील विरुद्ध निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार झुंझुनूं उनवानी प्रकरण सं0 24 / 2020 उनवानी सरकार बनाम सुरेन्द्र अ0धारा 91 एल आर एक्ट दिनांक 09.03.2021

——

उपस्थित :–

1. श्री जहीर मोहम्मद फारूकी, एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– रेस्पोडेन्ट की ओर

आदेश

दिनांक 31.03.2021

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपील नायब तहसीलदार झुंझुनूं के निर्णय दिनांक 09.03.2021 के विरूद्व मय प्रार्थना पत्र स्थगन पेश हुई है। अपीलान्ट की ओर से अपील नीचे लिखे अनुसार पेश है कि अदालत मातहत का निर्णय पत्रावली व कानून तथा प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। प्रार्थी अदालत मातहत का नोटिस प्राप्त होते ही अदालत मातहत के समक्ष हाजिर होकर जबाब पेश किया व वास्तविक स्थितियों से अदालत मातहत को अवगत करवाया परन्तु अदालत मातहत ने प्रार्थी के जबाब का कोई अवलोकन नही किया व ना ही जबाब मे उठाये गये बिन्दुओं की कोई जांच करवाई ना ही निर्णय मे जबाब मे उठाये गये बिन्दुओं का कोई हवाला दिया और मनमाना निर्णय पारित कर दिया। अपीलान्ट ने वास्तविक तथ्यो पर जबाब दिया तथा जबाब मे अपीलान्ट ने अदालत मातहत को अवगत करवाया कि ग्राम भूरासर का बास मे स्थित ख0न0 438 रकबा 6.55 है0 किस्म जोहड के रकबा 0.01 है0 भूमि पर अपीलान्ट ने आधार वर्ष 2077 मे कोई अतिकमण नही किया प्रार्थी को आधार वर्ष 2077 मे अतिक्रमी गलत बताया गया है। अपीलान्ट ने अपने जबाब मे यह भी उल्लेख किया कि उक्त भूमि रेवेन्यू रिकार्ड मे ही जो[illegible] है परन्तु वास्तविक रूप से उक्त भूमि पर सैकडों वर्षो से सघन आबादी बसी हुई है। उक्त भूमि प[illegible] ग्राम भूरासर का ग्राम की 60 प्रतिशत आबादी बसी हुई है उक्त [illegible] धर्मशाला, स्कूल, सार्वजनिक सामुदायिक भवन, सडके, बिजली व पा[illegible] भूमि मौके पर खाली नही है। प्रार्थी / अपीलान्ट भी उक्त भूमि पर जन्म से निवास करता आया है। इस कारण प्रार्थी को आधार वर्ष 2077 मे अतिक्रमी गलत बताया गया है। प्रार्थी ने अदालत मातहत को यह भी अवगत करवाया था कि प्रार्थी के परिवार का ही रोहिताश ढाका जो वकील है

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.04.15 11:33:36 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी से रंजिश रखता है। प्रार्थी से मारपीट की जिसका मुकदमा व जमीन के रेवेन्यू मुकदमे भी उक्त रोहिताश के साथ चल रहे है जो प्रार्थी से रंजिश रखता है ने पटवारी महोदय से मिलकर प्रार्थी के खिलाफ यह झूठी रिपोर्ट व झूठा प्रकरण दर्ज किया गया है। यदि वास्तव मे पटवारी महोदय मौके पर जाकर रिपोर्ट बनाते तो उक्त भूमि पर बसे लोगो के सभी के खिलाफ इस प्रकार का प्रकरण दर्ज करवाते परन्तु रंजिशवंश केवल प्रार्थी के खिलाफ ही उक्त रिपोर्ट दी गई जो गलत है। प्रार्थी उक्त भूमि पर अतिक्रमी नही है। प्रार्थी गत 50 साल से भी अधिक समय से उक्त भूमि पर अन्य लोगों की तरह ही बसा हुआ है। जिस पर प्रार्थी को सुखाधिकार प्राप्त है। प्रार्थी ने उक्त सभी तथ्यों से अदालत मातहत को अवगत करवाया था परन्तु अदालत मातहत ने प्रकरण मे मौके की स्थिति की रिपोर्ट सक्षम अधिकारी से नही मंगवाई और ना ही स्वयं कोई मौका देखा ना ही अपीलान्ट द्वारा लिये गये उज्रातों पर गौर किया और झूठी रिपोर्ट पर विवादित निर्णय पारित कर दिया। अदालत मातहत का निर्णय न्याय की दृष्टि से गलत है। इस कारण से अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अदालत मातहत के विवादित निर्णय को अपास्त किया जाकर अदालत मातहत को पत्रावली इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जावे कि ख0न0 438 की मौके की वास्तविक स्थिति मंगवाई जाकर विधिसम्मत निर्णय पारित करे। उक्त भूमि पर प्रार्थी सहित अन्य ग्रामवासीगण का कदीमी कब्जा होने पर नियमानुसार नियमन की कार्यवाही की जावे। ऐसा आदेश दिया जाना न्यायोचित है। अतः अपील मय शपथ पत्र अपीलान्ट की ओर से पेश कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अदालत मातहत का निर्णय दिनांकित 09.03.2021 को निरस्त व अपास्त किया जाकर प्रकरण अदालत मातहत को रिमाण्ड किया जावे कि वह ख0न0 438 की मौके की वास्तविक रिपोर्ट व उस पर बसे लोगों की सूची मंगवाई जाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे व एक व्यक्ति विशेष या परिसर विशेष के खिलाफ दुर्भावना पूर्ण कार्यवाही ना करे। अपीलान्ट व उस पर उसे लोगो का कदीमी कब्जा होने की स्थिति मे भूमि के नियमन की कार्यवाही किये जाने कर आदेश दिया जावे। प्रार्थी/अपीलान्ट मातहत से यही विनम्र प्रार्थना है।

बहस वकील अपीलान्ट सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट् ने बहस के दौरान अपील मे वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट ग्राम भूरासर का बास मे स्थित ख0न0 438 रकबा 6.55 है0 किस्म जोहड के रकबा 0.01 है0 भूमि पर आधार उसके द्वारा मे कोई अतिकमण नही किया है। उक्त भूमि रेवेन्यू रिकार्ड मे ही जोहड दर्ज है परन्तु वास्तविक रूप से उक्त भूमि पर सैकडों वर्षो से सघन आबादी बसी हुई है। उक्त भूमि पर तकरीबन ग्राम भूरासर का बास की 60 प्रतिशत आबादी बसी हुई है उक्त भूमि मे सरकारी जैसे धर्मशाला, स्कूल, सार्वजनिक सामुदायिक भवन, सडके, बिजली व पानी की लाईने डली हुई है तथा भूमि मौके पर खाली नही है। प्रार्थी से रंजिशवंश झूठी रिपोर्ट व झूठा प्रकरण दर्ज किया गया है। यदि वास्तव मे पटवारी महोदय मौके पर जाकर रिपोर्ट बनाते तो उक्त भूमि पर बसे लोगो के सभी के खिलाफ इस प्रकार का प्रकरण दर्ज करवाते परन्तु रंजिशवंश केवल प्रार्थी के खिलाफ ही उक्त रिपोर्ट दी गई जो गलत है। प्रार्थी ने उक्त सभी तथ्यों से अदालत मातहत को अवगत करवाया था परन्तु अदालत मातहत ने प्रकरण मे मौके की स्थिति की रिपोर्ट सक्षम अधिकारी से नही मंगवाई और ना ही स्वयं कोई मौका देखा ना ही अपीलान्ट द्वारा लिये गये उज्रातों पर गौर किया और झूठी रिपोर्ट पर विवादित निर्णय पारित कर दिया। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अदालत मातहत का निर्णय दिनांकित [illegible] को निरस्त व अपास्त किया जाकर प्रकरण अदालत मातहत को रिमाण्ड किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.04.15 11:33:36 IST
Reason: SelfAttested

कि वह ख0न0 438 की मौके की वास्तविक रिपोर्ट व उस पर बसे लोगों की सूची जाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे व एक व्यक्ति विशेष या परिसर विशेष के दुर्भावना पूर्ण कार्यवाही ना करे। अपीलान्ट व उस पर उसे लोगो का कदीमी कब्जा की स्थिति मे भूमि के नियमन की कार्यवाही किये जाने कर आदेश दिया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध करते तर्क प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकीन जोहड है एवं राजकीय भूमि है पर अपीलान्ट को अतिक्रमण करने का कोई हक नही है। अदालत मातहत का निर्णय विधिसम्मत है। अतः अपीलान्ट की यह अपील खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया। प्रकरण में अदालत मातहत ने अपीलान्ट ने को ग्राम भूरासर स्थित भूमि खसरा नम्बर 6.55 रकबा 6.55 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन जोहड़ में से 0.01 हैक्टर भूमि पर अतिक्रमी माना है। उक्त के संबंध में अपीलान्ट का तर्क है कि विवादित आराजी पर अपीलान्ट का पुराना कब्जा है तथा विवादित आराजी पर सघन आबादी बसी हुई है। पत्रावली व रिकार्ड के अवलोकन से साफ है कि विवादित आराजी की किस्म गैर मुमकीन जोहड़ के रूप में दर्ज है, जो प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है। अपीलान्ट ने ऐसा कोई साक्ष्य या दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उसके द्वारा किये गये कब्जे को वैध माना जा सकें। अदालत मातहत ने अपीलान्ट को गैर मुमकीन जोहड़ की भूमि पर अतिक्रमी माना है जो विधिसम्मत है। अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अपील खारिज होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर फाईल से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 31.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर,
झुंझुनूं
21/03/21

Signature Not Verified

Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.04.15 11:33:36 IST
Reason: SelfAttested